राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम शान्ति देवी 844/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. एवं अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/10/2025 को पेश हो।	
09/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बिशनगढ़ में नियत कर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/06/2017 पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अपील में अंकित तथ्यों पर गौर किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05/06/2017के द्वारा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त को दृष्टीगत रखते हुये सरस-नरस के हिसाब से एवं राजस्व बोर्ड के नियम के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश प्रदान करते हुये प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/06/2017 में कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	